इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 407] भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 अगस्त 2011—भाद्र 7, शक 1933

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. एफ-52-2-2010-3-अड़तीस.—यत: विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के कार्यकलापों के कुप्रबंध के संबंध में, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 की उपधारा (1) के अनुसरण में, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अगस्त 2010 जारी की थी, जिसमें यह निर्देशित किया गया था कि उक्त अधिनियम की धारा 13, 14, 20 से 25, 40, 47, 48, 54 एवं 67 के उपबंध, उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए उक्त विश्वविद्यालय को 30 अगस्त 2010 से लागू होंगे.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना के प्रवर्तन होने की कालावधि को और एक वर्ष की कालावधि तक के लिए बढ़ाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2011

क्र. एफ-52-2-2010-3-अड़तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-52-2-2010-3-अड़तीस, दिनांक 29 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th August 2011

No. F-52-2-10-XXXVIII-3.—WHEREAS, due to mismanagement of affairs of Vikram University, Ujjain, the State Government in pursuance of sub-section (1) of Section 52 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), has issued a notification of even number dated 30th August, 2010, whereby directed that the provisions of Sections 13, 14, 20 to 25, 40, 47, 54 and 67 of the said Act shall apply to the said University subject to the modification specified in the third Schedule to the Act from 3oth August 2010.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 52 of the said Act, the State Government hereby extends the period of operation of the said notification by further period of one year.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. P. SINGH, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.